

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

चर्दी/प्रार्थी- व. लालसिंह स. मंगलसिंह
ग. सु. व. लालसिंह स. लालसिंह
पु. ल. स. 2011 क. ह. म.
जसवन्तपुरा

बनाम


प्रतिवादी/अप्रार्थी- शा. लालसिंह रा. लालसिंह
श्री. लालसिंह क. लालसिंह
जसवन्तपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / 136 श. म. क. नंबर - 139/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
13-11-17	<p>प्रार्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता श्री <u>उ. लालसिंह</u> द्वारा <u>श्री. लालसिंह</u> बाबत <u>रा. लालसिंह</u> द्वारा 136 श. म. क. विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>रा. लालसिंह</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>27/11/2017</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा मुख्यालय भीनमाल</p>	
27/11/17	<p>प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी जवाब हेतु अवसर चाहे है मिशाल वास्तु जवाब 15/11/18 को पेश हो।</p>	
15/11/18	<p>जसवन्तपुरा फिजिकल उपखण्ड। कानून सीकल S. S. O. लालसिंह कोर्ट। श्री. लालसिंह कोर्ट है। किन फिजिकल इन्फोर्मेशन लेवल उनके कानून का 13/2/18 को पेश है।</p>	
19/2/18	<p>जसवन्तपुरा फिजिकल उपखण्ड। कानून सीकल S. S. O. लालसिंह कोर्ट। श्री. लालसिंह कोर्ट है। किन फिजिकल इन्फोर्मेशन लेवल उनके कानून का 26-3-18 को पेश हो।</p>	

26/3/18 ~~सुप्रीम कोर्ट~~ सुप्रीम कोर्ट
उपरोक्त आदेश पर शांति एवं अन्तर्गत
कार्य के लिये होने के सम्बन्ध में
8/5/18 को प्रेषित

18/5/18 पहावली आदर शतस्व लोक अदालत अभियान न्याय
आयके द्वार-2018 केम्प सेरणा में प्रस्तुत हुई।
पार्थी वचनसिंह, डैलसिंह, नरपतसिंह उपस्थित
हुए, इनकी पहचान परतारी फुनगाकला द्वारा
की गई। पार्थीगण ने एक पार्थना पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि उक्त पार्थना पत्र
आपसी रक्षामंत्री से विज्ञापित करना चाहते हैं।
अतः पार्थीगण के उक्त पार्थना पत्र को मध्यम
स्वरूपे हुए, पार्थीगण का उक्त पार्थना पत्र
अंतर्गत धारा 136 शतस्थान श्रु शतस्व
अधिनियम का तर्ज विज्ञापित ग्यारि ल
किया जाता है। जिसल अंश फैंसल होकर
नम्बर से कम हो। निर्णय आल दिनांक
18/5/18 को शतस्व लोक अदालत न्याय
आयके द्वार केम्प सेरणा में मदमे आम
में सुनाया गया।



वचनसिंह

~~18/5/18~~

Ch. D. Singh

18/5/18
अखण्ड अधिकारी
संसदतंत्र प्रशासन भीनमाल